

## विषय सूची

|   | संदर्भ |           |
|---|--------|-----------|
|   | कंडिका | पृष्ठ सं. |
| प्रस्तावना                                  | -      | vii       |
| कार्यकारी सारांश                            | -      | ix        |
| <b>अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त</b>       |        |           |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)          | 1.1    | 1         |
| 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश    | 1.1.1  | 1         |
| राजकोषीय स्थिति की समीक्षा                  | 1.1.2  | 4         |
| बजट अनुमान एवं वास्तविक                     | 1.1.3  | 9         |
| राज्य के संसाधन                             | 1.2    | 10        |
| राजस्व प्राप्तियाँ                          | 1.3    | 11        |
| राज्य के स्वयं के संसाधन                    | 1.3.1  | 12        |
| भारत सरकार से सहायता-अनुदान                 | 1.3.2  | 15        |
| केन्द्रीय कर हस्तांतरण                      | 1.3.3  | 16        |
| बकाया राजस्व                                | 1.3.4  | 17        |
| लघु शीर्ष - 913 के अंतर्गत अनियमित जमा      | 1.3.5  | 17        |
| पूँजीगत प्राप्तियाँ                         | 1.4    | 17        |
| ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ               | 1.4.1  | 18        |
| आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ            | 1.4.2  | 19        |
| लोक लेखा प्राप्तियाँ                        | 1.5    | 19        |
| संसाधनों के अनुप्रयोग                       | 1.6    | 20        |
| पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)                     | 1.6.1  | 20        |
| राजस्व व्यय (रा.व्य.)                       | 1.6.2  | 21        |
| प्रतिबद्ध व्यय                              | 1.6.3  | 21        |
| वृहत कार्यक्रम                              | 1.6.4  | 23        |
| वित्तीय सहायता                              | 1.6.5  | 24        |
| व्यय की गुणवत्ता                            | 1.7    | 27        |
| लोक व्यय की पर्याप्तता                      | 1.7.1  | 27        |
| व्यय के उपयोग की दक्षता                     | 1.7.2  | 27        |
| चयनित समाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय      | 1.7.3  | 28        |
| सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण | 1.8    | 29        |
| सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम         | 1.8.1  | 29        |
| अपूर्ण परियोजनाएँ                           | 1.8.2  | 29        |
| निवेश एवं प्रतिफल                           | 1.8.3  | 30        |
| राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम              | 1.8.4  | 31        |
| रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश            | 1.8.5  | 32        |
| परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व                   | 1.9    | 33        |

|  | संदर्भ |           |
|--|--------|-----------|
|  | कंडिका | पृष्ठ सं. |
| परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि तथा संयोजन   | 1.9.1  | 33        |
| राजकोषीय दायित्व   | 1.9.2  | 34        |
| हास निधि   | 1.9.3  | 35        |
| राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)   | 1.9.4  | 35        |
| प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व   | 1.9.5  | 36        |
| ऋण प्रबंधन   | 1.10   | 36        |
| ऋण की रूपरेखा  | 1.10.1 | 36        |
| ऋण वहनीयता   | 1.10.2 | 37        |
| उधार निधियों की निवल उपलब्धता  | 1.10.3 | 40        |
| <b>अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>  |        |           |
| परिचय  | 2.1    | 41        |
| विनियोग लेखे के सारांश   | 2.2    | 41        |
| वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन  | 2.3    | 43        |
| आवंटित प्राथमिकताओं के सम्मुख विनियोग  | 2.3.1  | 43        |
| प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना   | 2.3.2  | 45        |
| सतत बचत  | 2.3.3  | 46        |
| आकस्मिकता निधि से अग्रिम   | 2.3.4  | 48        |
| विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता                     | 2.3.5  | 49        |
| परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान  | 2.3.6  | 50        |
| निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन   | 2.3.7  | 51        |
| निधियों का वृहद अभ्यर्पण   | 2.3.8  | 51        |
| व्यय का वेग  | 2.4    | 51        |
| विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन  | 2.5    | 52        |
| अनुदान संख्या 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की बजटीय प्रक्रिया                     | 2.6    | 52        |
| प्रस्तावना   | 2.6.1  | 52        |
| सतत बचत  | 2.6.2  | 53        |
| बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब   | 2.6.3  | 54        |
| संवितरण अधिकारियों से अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट प्राक्कलन | 2.6.4  | 54        |
| परिणाम एवं जेंडर बजट को तैयार नहीं करना  | 2.6.5  | 55        |
| परिहार्य अनुपूरक प्रावधान  | 2.6.6  | 55        |
| कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता   | 2.6.7  | 56        |
| वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण   | 2.6.8  | 58        |

|   | संदर्भ |           |
|---|--------|-----------|
|   | कंडिका | पृष्ठ सं. |
| व्यय का वेग   | 2.6.9  | 59        |
| विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन   | 2.6.10 | 59        |
| जमा खातों में निधि का रखाव (पार्किंग)   | 2.6.11 | 60        |
| झारखण्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (झा.अ.श्र.सा.सु.यो.) में अपूर्ण बीमा आच्छादन                           | 2.6.12 | 60        |
| नियोजनालय का राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ इंटर लिंकिंग नहीं होना   | 2.6.13 | 61        |
| अज्ञात/अपरिचित लाभार्थियों को कंबल/कपड़ों का वितरण  | 2.6.14 | 61        |
| रोकड़ बही एवं विपत्र बही का असंधारण   | 2.6.15 | 62        |
| अनुदान संख्या 18 - खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेतु बजटीय प्रक्रिया                              | 2.7    | 63        |
| प्रस्तावना  | 2.7.1  | 63        |
| पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग की बजटीय स्थिति   | 2.7.2  | 64        |
| बजट प्राक्कलन की तैयारी के लिए प्रावधान का अनुपालन नहीं होना  | 2.7.3  | 64        |
| परिहार्य अनुपूरक बजट  | 2.7.4  | 64        |
| वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पण   | 2.7.5  | 65        |
| व्यय का वेग   | 2.7.6  | 65        |
| विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन   | 2.7.7  | 65        |
| सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण   | 2.7.8  | 66        |
| परिणाम एवं जेंडर बजट की गैर-प्रस्तुति   | 2.7.9  | 66        |
| उपभोक्ता कल्याण कोष का अनुपयोग  | 2.7.10 | 67        |
| बजट में उद्घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन   | 2.7.11 | 67        |
| <b>अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन</b>  |        |           |
| अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र  | 3.1    | 69        |
| उपयोगिता प्रमाण-पत्र बढ़ाकर सरकार को प्रेषित करना   | 3.1.1  | 71        |
| प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा                                     | 3.2    | 71        |
| नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा | 3.2.1  | 71        |
| सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब   | 3.2.2  | 73        |
| सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया जाना   | 3.2.3  | 73        |
| संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा  | 3.3    | 73        |

|  | संदर्भ |           |
|--|--------|-----------|
|  | कंडिका | पृष्ठ सं. |
| विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा करने में विलम्ब        | 3.3.1  | 75        |
| दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन    | 3.4    | 76        |
| निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना    | 3.5    | 77        |
| श्रम सेस   | 3.6    | 78        |
| श्रम सेस का लेखांकन एवं उपयोगिता                       | 3.6.1  | 79        |
| लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना              | 3.7    | 80        |
| लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण अवयव | 3.8    | 80        |
| राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव               | 3.9    | 81        |
| राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन        | 3.10   | 82        |
| राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन                 | 3.11   | 82        |

| परिशिष्ट सं.       | विवरण  | पृष्ठ सं. |
|--------------------|--|-----------|
| परिशिष्ट 1.1 भाग-क | झारखण्ड का परिचय   | 85        |
| परिशिष्ट 1.1 भाग-ख | सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा  | 86        |
| परिशिष्ट 1.1 भाग-ग | वित्त लेखे का अभिन्यास   | 86        |
| परिशिष्ट 1.2       | वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार   | 87        |
| परिशिष्ट 1.3       | राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े   | 91        |
| परिशिष्ट 1.4 भाग-क | 74 <sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण                       | 95        |
| परिशिष्ट 1.4 भाग-ख | 73 <sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यों का विवरण                     | 96        |
| परिशिष्ट 1.5       | 31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति   | 97        |
| परिशिष्ट 2.1       | विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा | 99        |
| परिशिष्ट 2.2       | उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ व उससे ज्यादा) हुआ   | 101       |
| परिशिष्ट 2.3       | ₹ एक करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण   | 108       |
| परिशिष्ट 2.4       | मार्च 2019 में ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले  | 110       |
| परिशिष्ट 2.5       | पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित   | 115       |
| परिशिष्ट 2.6       | मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए   | 116       |
| परिशिष्ट 2.7       | निधियों का अधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन  | 118       |
| परिशिष्ट 2.8       | वर्ष के दौरान किये गये बड़े अभ्यर्पणों की समीक्षा के परिणाम  | 119       |
| परिशिष्ट 2.9       | वर्ष के अंत में व्यय का वेग  | 125       |
| परिशिष्ट 2.10      | नियंत्री अधिकारियों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया  | 127       |
| परिशिष्ट 2.11      | परिहार्य अनुपूरक प्रावधान  | 128       |

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| परिशिष्ट 2.12 | कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता   | 129 |
| परिशिष्ट 2.13 | वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण   | 130 |
| परिशिष्ट 2.14 | व्यय का वेग  | 131 |
| परिशिष्ट 2.15 | विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन  | 132 |
| परिशिष्ट 2.16 | झारखण्ड गैर-संगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योज  | 133 |
| परिशिष्ट 2.17 | अज्ञात लाभुकों को कम्बलों/कपड़ों का वितरण  | 134 |
| परिशिष्ट 2.18 | वर्ष 2018-19 हेतु परिहार्य अनुपूरक प्रावधान  | 135 |
| परिशिष्ट 2.19 | अधिकाई राशि का प्रावधान प्रदर्शित करने वाले विवरण  | 136 |
| परिशिष्ट 2.20 | वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को इकाई-वार राशि की अभ्यर्पित प्रतिवेदन  | 138 |
| परिशिष्ट 2.21 | मार्च 2019 में उप-शीर्ष वार व्यय   | 139 |
| परिशिष्ट 2.22 | मार्च 2019 में डी.डी.ओ.-वार एवं योजना-वार व्यय का वेग  | 140 |
| परिशिष्ट 2.23 | डी.डी.ओ. के व्यय की असमाशोधित राशि   | 141 |
| परिशिष्ट 2.24 | विभिन्न शीर्षों में सम्पूर्ण बजट का अभ्यर्पण   | 142 |
| परिशिष्ट 2.25 | सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण  | 143 |
| परिशिष्ट 3.1  | 31 मार्च 2019 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र  | 145 |
| परिशिष्ट 3.2  | नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची | 146 |
| परिशिष्ट 3.3  | शीर्ष-वार बकाया डी.सी. विपत्र के ब्यौरे  | 148 |
| परिशिष्ट 3.4  | जिला-वार बकाया डी.सी. विपत्र   | 149 |
| परिशिष्ट 3.5  | डी.डी.ओ. द्वारा डी.सी. विपत्रों के विलम्ब प्रस्तुतीकरण को प्रदर्शित करने वाले विवरण  | 150 |
| परिशिष्ट 3.6  | डी. सी. विपत्रों का विलम्ब प्रस्तुतीकरण (अनुदान 26 के अंतर्गत चयनित जिला)  | 151 |
| परिशिष्ट 3.7  | तीन वर्षों से अधिक समय तक पी. एल. खाते में रखी गयी राशि  | 152 |
| परिशिष्ट 3.8  | लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन   | 153 |
| परिशिष्ट 3.9  | लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (30 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन  | 154 |
| परिशिष्ट 4.1  | प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द  | 155 |